नगर निगम ग्रेटर जयपुर

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी

दिनांक 18.06.2024 को NIT संख्या 01 से 09/2024–25 की नियम शर्तो आदि हेतु प्री बीड़ मीटिंग रखी गयी। जिसमें निम्नाकिंत फर्मो द्वारा निम्न विवरण अनुसार आपत्ति/सुझाव दिये गये जो निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सुझाव/आपत्ति	प्रस्तावित निविदा की शर्त	गत वर्ष की निविदा की शर्त	टिप्पणी
1	1. मैसर्स वर्षा कन्स0 कम्पनी 2. मैसर्स ममता कन्स0 कम्पनी 3. मैसर्स राकेश कन्स0 कम्पनी 4. मैसर्स ऋतिका एन्टरप्राईजेज 5.हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रक्टर्स सोसायटी एवं 6. यूनियन द्वारा निविदा संख्या 01 से 09/2024725 की वन टाईम प्लान्टेशन की शर्त संख्या 08, शर्त संख्या 09 तथा शर्त संख्या 10 में तथा NIT NO. 02 की शर्त संख्या 02 में आपत्ति की हैं।	शर्त संख्या 08 :– फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्यसरकार/निगम /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य का निविदा राशि के 33 प्रतिशत राशि तक का एकल कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च–2024 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	शर्त संख्या 08 :– फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य का निविदा राशि के 80 प्रतिशत राशि तक का एकल कार्यादेश अथवा 60 प्रतिशत राशि के दो कार्यादेश अथवा 40 प्रतिशत राशि के तीन कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च–2022 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	1. तकनीकी कार्य हाने के कारण अनुभव होना अनिवार्य हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्रस्तावित निविदा में निविदा राशि का केवल 33 प्रतिशत राशि का अनुभव चाहा गया हैं। जो की उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है
		शर्त संख्या 09 :– संवेदक की स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान जिसमें बैड्स बनाकर पौधें सुव्यवस्थित रूप से रखकर उनमें पानी देना एवं आवश्यक देखभाल एवं सुरक्षा हो सके ऐसा सुव्यवस्थित स्थान होना आवश्यक है।	शर्त संख्या 09 :– संवेदक की स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान जिसमें बैड्स बनाकर पौधें सुव्यवस्थित रूप से रखकर उनमें पानी देना एवं आवश्यक देखभाल एवं सुरक्षा हो सके ऐसा सुव्यवस्थित स्थान होना आवश्यक है।	2. जब तक पौधे उठवाकर निर्धारित स्थान पर नहीं लगाये जाते हैं, तब तक संवेदक का स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान होना आवश्यक हैं, जहाँ पर पौधे रखकर इनकी देखभाल हो सके। शर्त उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

टिप्पणी (क्रमिक)

ग्रेटर

डायरी

		शर्त संख्या 10 :– तकनीकी बीड में भाग लेने वाले संवेदक जो निविदा की शर्त पूर्ण करते है उन सभी संवेदक की नर्सरी/स्थान की उपापन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें नर्सरी/स्थान में जी–शिड्यूल मे वर्णित संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत पौधें स्वस्थ एवं रोग रहित नर्सरी/स्थान में रखे होना आवश्यक होगा। उपापन समिति द्वारा मौके पर रखे पौधों की निर्धारित ऊँचाई किस्म एवं गुणवत्ता पूर्ण होने पर ही वित्तीय बीड खोली जायेगी। यदि पौधों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उस संवेदक की वित्तीय बीड नहीं खोली जायेगी।	शर्त संख्या 10 :– तकनीकी बीड में भाग लेने वाले संवेदक जो निविदा की शर्त पूर्ण करते है उन सभी संवेदक की नर्सरी/स्थान की उपापन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें नर्सरी में जी–शिड्यूल मे वर्णित क एवं संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत पौधें स्वस्थ एवं रोग रहित नर्सरी/स्थान में रखे होना आवश्यक होगा। उपापन समिति द्वारा मौके पर रखे पौधों की निर्धारित ऊँचाई किस्म एवं गुणवत्ता पूर्ण होने पर ही वित्तीय बीड खोली जायेगी। यदि पौधों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उस संवेदक की वित्तीय बीड नहीं खोली जायेगी।	3.संवेदक की स्वंय की नर्सरी स्थान पर निविदा में जी–शिड्यूल में वर्णित संस्था के मात्र 20 प्रतिशत पौधे होना आवश्यक हैं। जिससे संवेदक को पौधो की तकनीकी जानकारी एवं पौधे उपलब्ध करवा सके के सम्बन्ध में आकलन किया जा सके। शर्त उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।
		निविदा संख्या 09 की शर्त संख्या 02 :– फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में राजकीय विभाग/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री–गार्ड आपूर्ति कार्य का निविदा राशि के 33 प्रतिशत राशि का तक के एकल कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च–2024 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	निविदा संख्या 09 की शर्त संख्या 02 :– फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में से किसी एक वर्ष में राजकीय विभाग/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री–गार्ड आपूर्ति कार्य का निविदा राशि के 80 प्रतिशत तक का एकल कार्यादेश अथवा 60 प्रतिशत राशि के दो कार्यादेश अथवा 40 प्रतिशत राशि के तीन कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च–2022 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन रिपोर्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	4. राजकीय संस्था में उपक्रमो में लोहे के ट्रि–गार्ड आपूर्ति की शर्ते रखी गयी। जो की निविदा राशि की 33 प्रतिशत राशि का कार्य संतोषजनक पूर्ण होने की रखी गयी हैं। उक्त शर्त उपयुक्त गत वर्ष की शर्तो से सरल हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

टिप्पणी (क्रमिक)

ग्रेटर

डायरी

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्री बीड़ में प्राप्त सुझावो एवं आपत्ति के अनुसार प्रस्तावित निविदाओ की नियम शर्तो आदि में कोई परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं हैं। इस बाबत् द्वारा समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

श्रीमती सीमा मीना
कनिष्ठ अभियन्ता

श्री वैभव कुमार
ए.सी.पी

श्री रोहित पाराशर
वरिष्ठ लेखाधिकारी

श्री रविन्द्र सिंह
उपायुक्त (उद्यान)

श्री जनार्दन शर्मा
उपायुक्त (मुख्यालय)

श्री सुनील सोनी
वित्तीय सलाहकार

श्रीमती सीमा कुमार
अतिरिक्त आयुक्त महोदया

पैरा सं. 1/N से 3/N अनुसार समिति के निर्णय अनुसार पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

19/6/24

JMC Sb.

20/6

FA

20/6

D.C

GSTIN No. 08BDPPS6147B1Z9 Mobile no. 9828514181

RAKESH CONSTRUCTION COMPANY

Shop no. 27,Neer Sagar Market,Sirsi Road,Bhankrota,Jaipur,Rajasthan,302026

S.NO. SP/01 Dated 18/06/24

श्रीमान उपायुक्त उधान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषयः–ई–निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024–25 हेतू लगायी गयी शर्तो की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तो को हटाने बाबत।

महोद्‌य,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन टाइम वृक्षारोपण कार्य हेतू शर्ते क्रमांक 8 मे फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशी का एकल कार्यदिश होना चाहिए जो की यह शर्ते अनुचित हैं जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नही होती हैं। शर्ते संख्या 9 संवेदक स्वंम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। क्यो कि न्यून्तम दरें आंने व कायदिश जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती हैं। जो संवदेक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता हैं। शर्ते संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। कार्यदेश जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती हैं। ई–निविदा क्रमांक 8/2024–25, में भी शर्त अनुचित हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की अवधि में कितने भी वर्षो में उधानकी कार्यो से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई–निविदा क्रमांक 9/2024–25, शर्त संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्त भी अनुचित हैं।

अतः उक्त निविदाओं में लगायी गयी शर्ते आरटीपीपी एक्ट के नियम विरूद्ध हैं। उक्त शर्तो को विलोप्ति कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई–निविदाओं में व बोली प्रकिया मे भाग लेने से नही रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ
आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर
उपायुक्त मुख्यालय
वितीय सलाहकार

भवदीय
Rakesh

उपायुक्त (उधान) 187 18/6/24

Jai Shree Ram | II Shree Ganeshaya Namah II | Shree Dharnidhar Bhagwan

Varsha Construction Company

GSTIN : 08ALNPD2896F1ZU
PAN No.: ALNPD2896F

(Govt. Contractor)

Mob. 9413835798
7014688140

Specialist in Horticultural Services, Garden Development & Landscape Work, Civil, Electrical Work, Hardware, & All Kinds of Satisfaction work

Ref. No. 50/6 | Date 18/6/24

श्रीमान उपायुक्त उधान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषयः–ई–निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024–25 हेतू लगायी गयी शर्तो की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तो को हटाने बाबत।

महोद्‌य,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन टाइम वृक्षारोपण कार्य हेतू शर्ते क्रमांक 8 मे फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशी का एकल कार्यदिश होना चाहिए जो की यह शर्ते अनुचित हैं जिसमें फर्म का रजिस्टेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नही होती हैं। शर्ते संख्या 9 संवेदक स्वंम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। क्यो कि न्यूनतम दर्रे आने व कायदिश जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती हैं। जो संवदेक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता हैं। शर्ते संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। कार्यदेश जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती हैं। ई–निविदा क्रमांक 8/2024–25, में भी शर्त अनुचित हैं जिसमें रजिस्टेशन की अवधि में कितने भी वर्षो में उधानकी कार्यो से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई–निविदा क्रमांक 9/2024–25, शर्त संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्त भी अनुचित हैं। जब कि हमारी फर्म के द्वारा उधान की कार्यो से सम्बन्धित कार्यो का लगातार लगभग 20 वर्षो का अनुभव हैं।

अतः उक्त निविदाओं में लगायी गयी शर्ते आरटीपीपी एक्ट के नियम विरूद्ध हैं। उक्त शर्तो को विलोप्ति कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई–निविदाओं में व बोली प्रकिया मे भाग लेने से नही रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।

भवदीय

GSTIN No. 08CBBPS7536M2ZZ Mobile No. 9982222988

M/s MAMTA CONSTRUCTION

Bunkaro ka Mohalla, Rampura- Dabri, JAIPUR, 303704

S.No. 5 Dated 18/6/2024

सेवा में

18/6/24

श्रीमान उपायुक्त महोदय
नगर निगम जयपुर ग्रेटर

विषय: शर्त वन टाइम पेड़ों में शर्त हटवाने बाबत

नम्र निवेदन है की आप वन टाइम पेड़ो के टेण्डर जारी किये हो इस मे आपने इनमे शर्त लगाई हो जो ना तो बड़े टेण्डर हो छोटे टेण्डर मे आपने जो शर्त लगा रखी हो जो डी.ए.बी में छोटे टेण्डरो मे कोई शर्त नही है और जे.डी.ए में 30 लाख तक के कोई टेण्डर में भी कोई शर्त नही है अत आपसे निवेदन है की छोटे टेण्डरो में शर्त हटवाई जावे ताकि छोटे ठेकेदार भी इनमे भाग ले सके

धन्यवाद

मैसर्स ममता कंस्ट्रक्शन
महेश शर्मा
9982222988

186
18/6/24

मैसर्स ऋतिका एन्टरप्राईजेज

प्लाट न.7, बालाजी विहार–16, वाटिका रोड
तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

मो.न. 9987030340

क्रमांकः........... दिनांक :18/6/24

श्रीमान उपायुक्त उधान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषयः–ई–निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024–25 हेतू लगायी गयी शर्तो की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तो को हटाने बाबत।

महोद्‌य,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन टाइम वृक्षारोपण कार्य हेतू शर्ते क्रमांक 8 मे फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशी का एकल कायदिश होना चाहिए जो की यह शर्ते अनुचित हैं जिसमें फर्म का रजिस्टेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नही होती हैं। शर्ते संख्या 9 संवेदक स्वंम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। क्यो कि न्यून्तम दर्रे आने व कायदिश जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती हैं। जो संवदेक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता हैं। शर्ते संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्ते अनुचित हैं। कार्यदेश जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती हैं। ई–निविदा क्रमांक 8/2024–25, में भी शर्त अनुचित हैं जिसमें रजिस्टेशन की अवधि में कितने भी वर्षो में उधानकी कार्यो से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई–निविदा क्रमांक 9/2024–25, शर्त संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षो में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्त भी अनुचित हैं।

अतः उक्त निविदाओं में लगायी गयी शर्ते आरटीपीपी एक्ट के नियम विरुद्ध हैं। उक्त शर्तो को विलोप्ति कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई–निविदाओं में व बोली प्रकिया मे भाग लेने से नही रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।

190
18/6/24

भवदीय

श्रीमान् आयुक्त महोदय,

नगर निगम हैरिटेज / ग्रेटर

विषय :– निगम की विभिन्न शाखाओं में शर्ते लगाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर निगम की विभिन्न शाखाओं द्वारा जो निविदा आमंत्रित की जा रही है उनमें संबंधित अधिकारी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जो शर्ते लगाई जाती है वो नियमानुसार गलत है कृपया श्रीमान्जी उक्त शर्तों का अवलोकन करने की कृपा करें जैसे–

1. उद्यान शाखा में ट्री गार्ड / बैन्च / कचरा पात्र / गार्डन संधारण इत्यादि के जो निविदा आमंत्रित की जाती है उसमें पूर्व में लगाई गई शर्त नं. 6 2 का अवलोकन करे।
2. उक्त शर्त जो पूर्व में लगाई जाती रही है उसमें निविदा राशि का 80 प्रतिशत का एक कार्यादेश या 60 प्रतिशत राशि के 2 कार्यादेश या 40 प्रतिशत राशि के 3 कार्यादेश होने चाहिए।
3. उक्त शर्त से स्पष्ट मालूम होता है कि जो व्यक्ति उद्यान शाखा में 10–12 साल से कार्य कर रहे है उनके पास ही इस प्रकार के कार्यादेश उपलब्ध होंगे।
4. उक्त शर्त से ही स्पष्ट होता है कि उक्त शर्ते व्यक्ति विशेष् को फायदा पहुंचाने के लिए ही लगाई जाती है जबकि उक्त आईटम टेक्नीकल हार्ड आईटम नहीं है।
5. उक्त शर्तों के कारण दरे भी अधिक आती है और निगम को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है।
6. इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता मुख्यालय द्वारा बाढ़ नियंत्रण में अनुभव आदि की शर्ते लगाने के कारण पूर्व में दरे अधिक आती रही है।
7. इस वर्ष 2023–24 की निविदा में श्रीमान जी से आग्रह करने पर शर्त हटाई गई थी जिसके कारण उक्त निविदा में जो दर आई है को लगभग 36 प्रतिशत कम आई है।

अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि निगम के उद्यान शाखा आदि को शर्ते नहीं लगाने हेतु निर्देशित करे।

जयपुर, दिनांक :

प्रार्थीगण

निगम ठेकेदार

प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. माननीय यू.डी.एच. मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान सचिव महोदय स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक महोदय, स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर।
6. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम हैरिटेज।

जयपुर, दिनांक :

प्रार्थीगण

निगम ठेकेदार

रजि. नं. 108/2002.2003

हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रक्टर्स सोसायटी

HCCS

जयपुर नगर निगम

अध्यक्ष
रघुवीर शर्मा
9828396635

उपाध्यक्ष
विमल जैन
9314279048

नैमीचन्द सैनी
9829019007

महामंत्री
तरूण कुमार शर्मा
9929885828

संयुक्त मंत्री
जगमोहन गुर्जर
9314339375

जितेन्द्र चौधरी
9829819929

कोषाध्यक्ष
ऋषि खण्डेलवाल
9829483438

क्रमांक HCCS/2024/121 दिनांक : 18/06/2024

FA 80/ DC (Garden)
18/6/24

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदया,
नगर निगम जयपुर, ग्रेटर,
जयपुर।

Additional Commissioner
Nagar Nigam Greater Jaipur

विषय :- उपायुक्त उद्यान नगर निगम ग्रेटर की प्रकाशित निविदाओं में से अनावश्यक शर्ते हटवाने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा निगमों, निकायों की निविदाओं में अनावशयक विशिष्ट शर्ते नहीं लगाने के लिए आदेश निकाला गया है। निविदाओं में अनावश्यक शर्ते(जो की फर्म विशेष ही पूर्ति कर सकती है) लगाने से RTTP Act & Rules द्वारा निर्देशित प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है जो नियम विरुद्ध है।

इस आदेश को लागू कराने के लिए आपने आदेश क्रमांक 17 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा सभी अधिशाषी अभियंताओं एवं उपायुक्तों को पाबंद किया था लेकिन उपायुक्त उद्यान द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है एवं अभी प्रकाशित निविदाओं में अनावश्यक शर्तो को निविदाओं में लागू कर दिया गया है। उपायुक्त उद्यान के यहाँ निविदाओं में शर्ते लगाने का खेल कई सालो से चल रहा है यदि इसकी गहन जाँच की जाये तो करोड़ों रुपयों का फर्जीवाड़ा मिलेगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिये हर बार उन्ही 5-7 ठेकेदारों को कार्यादेश दिए जाते रहे हैं। वैसे पेड़ सप्लाई करना या लगाना एक साधारण कार्य है। कोई भी यह कार्य कर सकता इसमें शर्ते लगाने की क्या जरुरत है।

निविदाओं में अनावश्यक शर्ते लगाने से निष्पक्ष प्रतिस्फर्धा(Fair Competition) नहीं होती क्योंकि निविदाओं में शर्तो की वजह से सभी संवेदक भाग नहीं ले पाते एवं कुछ चुनिंदा संवेदकों के भाग लेने से संवेदक Pool करके ऊँची दरों में कार्य को ले लेते है । इससे निगम को लाखों रूपए का भार वहन करना पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है की इन निविदाओं से अनावश्यक शर्तो को हटवाने का कष्ट करे जिनका विवरण निम्न है :-

S. No.	NIT No.	Date of Publish	Nature of Work
1.	01/2024-25 to 08/2024-25 (8 Nos.)	14/06/2024	One Time Plantation
2.	09/2024-25	14/06/2024	Supply of Tree Guard

हम आपके बहुत आभारी रहेंगे ।

धन्यवाद ।

भवदीय

198
18/6/24

(उद्यान)

3 को प्रार्थ

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)

क्रमांक :– एफ–19( )/उपा0उ0/ननिग्रेज/24/ 128 दिनांक :– 14/06/24

ई–निविदा सूचना संख्या 05/2024–25

ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु नगर निगम जयपुर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त तथा राज्य सरकार के विभागों में "A" व "AA" श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑन–लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑन–लाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in/डाउनलोड एवं अपलोड व http://sppp.raj.nic.in, www.jaipurmc.org पर डाउनलोड किये जा सकते है :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानता राशि (2% या 0.5% रूपयों में)	निविदा शुल्क	MD, RISL शुल्क	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	प्री बिड मीटिंग की तिथी एवं समय	निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ तिथी एवं समय	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई–निविदा सूचना संख्या
1	सांगानेर जोन क्षेत्र में वन– टाईम प्लान्टेशन का कार्य।	1884300	37686 9421	1000	1000	14.06.24	18.06.24 11:30 AM	19.06.24 5 PM	28.06.24 6 PM	01.07.24 3 PM	04 माह	05/24–25

1. निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in** एवं **www.jaipurmc.org** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा शुल्क (Tender fees), MD, RISL शुल्क ऑनलाईन भुगतान नगर निगम जयपुर की **Website : www.jaipurmc.org** के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदादाताओं को वेबसाईट से प्राप्त भुगतान की रसीदों को स्केन कर **Website : https://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना होगा।
3. संवेदक द्वारा पंजीयन की प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, पी.एफ की प्रति एवं ई.एस.आई की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
4. यदि निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होगा तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी।
5. अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उपायुक्त उद्यान कमरा नम्बर 307 पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर में सम्पर्क कर सकते है।
6. निविदादाता द्वारा एनेक्सचर A, B, C, D, E को स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड़ करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।
7. निविदादाता द्वारा निविदा अपलोड करते समय पीएफ एवं ईएसआई अपलोड करना अनिवार्य होगा।

रविन्द्र सिंह
उपायुक्त (उद्यान)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर